

M.P. JUDICIAL SERVICE (CIVIL JUDGE) MAIN EXAMINATION -2017

अनुक्रमांक/Roll No.

--	--	--	--	--

Total No. of Questions : 7
कुल प्रश्नों की संख्या : 7

No. of Printed Pages : 4
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 4

LOCAL LAWS, CRIMINAL LAWS & PROCEDURE

स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया

Third Question Paper

तृतीय प्रश्न-पत्र

समय – 3:00 घण्टे
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :-

Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Candidate shall start answering of next question from the next page. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.

अभ्यर्थी अगले प्रश्न का उत्तर अगले पृष्ठ से देना प्रारंभ करें। सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No.
/ प्र.क्र.

Question / प्रश्न

Marks
/ अंक

M.P. ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961
म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961

- 1(a) Under what circumstances defence may be struck out ? What 8
would be the consequence of striking out defence ?
किन दशाओं में बचाव समाप्त किया जा सकता है ? बचाव समाप्त करने के क्या परिणाम होंगे ?
- 1(b) Enumerate any four grounds on which eviction of tenants 8
from accommodation can be sought under the Act ?
ऐसे किन्हीं चार आधारों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर अधिनियम के अधीन किराएदार की बेदखली कराई जा सकती है ?

M.P. LAND REVENUE CODE, 1959
म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959

- 2(a) Define 'Holding' ? Discuss elaborately about the partition of 8
holdings ?
'खाता' परिभाषित कीजिए ? खातों के विभाजन के बारे में विस्तारपूर्वक लेख करें।
- 2(b) Explain briefly the procedure prescribed to be adopted against a 8
person in unauthorised possession of unoccupied or Abadi land.
अप्राधिकृत रूप से दखल रहित भूमि या आबादी भूमि पर कब्जा करने वाले के विरुद्ध प्रावधानित कार्यवाही का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

- 3(a) "A" tried for murder of "B". A says to police officer "I have 8
buried the knife with which I committed the murder of "B". He
shows the place where knife was buried. Knife was taken out.
Whether the statement "**with which I committed murder of "B"** is admissible ? Discuss.

'अ' पर 'ब' की हत्या का विचारण किया जाता है। 'अ' पुलिस अधिकारियों से कहता है कि "मैंने उस चाकू को जिससे मैंने 'ब' की हत्या की है, गाड़कर रखा है" वह उस स्थान को बताता है जहाँ चाकू गाड़ा गया है वहाँ से चाकू बरामद हुआ। क्या यह कथन "जिससे मैंने 'ब' की हत्या की है" ग्राह्य योग्य है ? विवेचना करें ।

- 3(b) Define accomplice. What is the value of its evidence and how for its evidence is admissible. 8

सहअपराधी को परिभाषित करें। सहअपराधी के साक्ष्य का क्या महत्व है और उसका साक्ष्य कहाँ तक ग्राह्य है ?

INDIAN PENAL CODE, 1861
भारतीय दण्ड संहिता, 1861

- 4(a) When offence falls under Sec 304 Part (I) and when falls under Sec 304 Part (II) of I.P.C. ? Discuss. 8

भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कब अपराध धारा 304 भाग (I) की परिधि में व कब 304 भाग (II) की परिधि में आता है ? विवेचना करें ।

- 4(b) What do you mean by term Criminal Conspiracy? How is it punishable ? Discuss differences between Criminal liability under section 34 IPC and criminal conspiracy under section 120A IPC. 8

आपराधिक षडयंत्र से आप क्या समझते हैं ? ये कैसे दण्डनीय हैं ? धारा 34 भा.द.स. के अंतर्गत आपराधिक दायित्व व धारा 120क भा.द.स. के अंतर्गत आपराधिक षडयंत्र के मध्य अंतर को विवेचित करें ?

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

- 5(a) "Every offence shall be ordinarily be inquired into and tried by a court within whose local jurisdiction it was committed". Examine this proposition of law. Do you think there is any exception to this rule ? 8

"प्रत्येक अपराध की जाँच एवं विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जायेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर वह अपराध किया गया है।" उपरोक्त विधिक सूक्ति का परीक्षण करें । क्या उक्त सिद्धांत के कोई अपवाद हैं ?

- 5(b) What procedure is followed by a magistrate on receiving a complaint under Code of Criminal Procedure? 8

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिवाद के प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को समझायें ?

NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

6. Discuss the essential ingredients of offence under S. 138 of Negotiable Instrument Act, 1881. Which defence is not allowed in any prosecution under S. 138? 8

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा-138 के अंतर्गत अपराध के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिये । धारा-138 के अंतर्गत अपराध के लिए अभियोजन में कौन सा बचाव अनुज्ञात नहीं होता है ?

MIXED
मिश्रित

7. Write Short-notes on : - 12
- (A) Public Document
- (B) Standard Rent
- (C) Unlawful Assembly.
- संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :-
- (अ) लोक दस्तावेज
- (ब) प्रामाणिक / मानक भाड़ा
- (स) विधि विरुद्ध जमाव।
